

आदेश पत्रक

वाद सं०- M 03 / 20.19

धारा-107 द०प्र०सं०

चावीराम सहनी

बनाम

सुधाट महली

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

अभिलेख सं०-एम 03 / 20.19 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रमारी तमाड के अप्राथमिकी सं०-02/19 दिनांक-16-01-2019 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि तमाड थाना कांठ सं० 40/18 दिनांक 12/5/18 धारा 323/324/325/34 मा० द०चि० के नामजद अभिपुक्त के संबंध में उभय पक्ष में विवाद है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 08/02/19 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित।

23/01/19
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

23/01/19
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

अभिलेख अर्यापित । समय पर
 अर्पित । उक्त वाद के 6 (छः) माह
 की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात्
 वाद कालवाचित हो गया है।
 अतः वाद के अभिलेख की कार्रवाई
 बन्द की जावे है।

3/11/2020

कार्यपालक दंडाधिकारी
 उच्च (रांची)

3/11/2020

कार्यपालक दंडाधिकारी
 उच्च (रांची)